

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को ₹ 300/- रुपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से तत्काल ₹ 400,00,00,000/- (चार सौ करोड़) रुपये मात्र एवं खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किसानों को ₹ 250/- रुपये प्रति क्वींटल की दर से भुगतान की गई शेष बोनस की राशि ₹ 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़) रुपये मात्र कुल ₹ 500,00,00,000/- (पाँच सौ करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति राज्य में दिनांक 25.11.14 से 15.04.15 तक प्रभावी है । राज्य सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम, एवं प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)/व्यापार मंडल को अभिकरण (एजेन्सी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अधिप्राप्ति कार्य के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है। वर्तमान मौसम में राज्य सरकार द्वारा 30 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान की अधिप्राप्ति हेतु पूरे राज्य में उपर्युक्त अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए हैं एवं इस मौसम में धान अधिप्राप्ति का कार्य दिनांक 25.11.14 से 15.04.15 तक प्रभावी है।

राज्य के किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने, अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने एवं राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के तहत पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम 2014-15 अन्तर्गत **(दिनांक 25.11.14 से दिनांक 15.04.15 तक)** अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण-1360/- रु0 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड 'ए' - 1400/- रु0 प्रति क्वींटल के अतिरिक्त 300/- रुपया प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि (तत्काल ₹ 400 करोड़ रुपये) देने एवं खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा किसानों को 250/- रुपये प्रति क्वींटल की दर से भुगतान की गई शेष बोनस ₹ 100 करोड़ रुपये कुल ₹ 500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

यह व्यय आय व्ययक मुख्य शीर्ष - 2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति, उप शीर्ष 0103 धान,चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी, मांग सं0-18 विपन्न कोड सं0- पी. 2408011010103 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगा ।

बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को बोनस की राशि की विमुक्ति वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान एवं गेहूँ का विगत वर्षों का लेखा देने के बाद ही और किस्तों में की जाएगी।

राज्य के किसानों को विभाग द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए दी जानेवाली उक्त बोनस की राशि का वितरण करने तथा इसके लेखा-जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेवारी नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी।

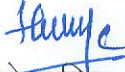
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(हुकुम सिंह मोना) 31/12/2014
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के सचिव। 31/12/2014

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

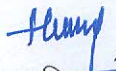

सरकार के सचिव 31/12/2014

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

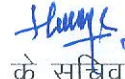

सरकार के सचिव 31/12/2014

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति में राज्य के किसानों को दिये जानेवाले बोनस की राशि को सभी राज्यकरों एवं लेवी से विमुक्त करने संबंधी अधिसूचना यथाशीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।


सरकार के सचिव 31/12/2014

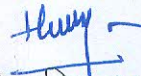
ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित कार्य योजना पर यथानुरूप
कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।


सरकार के सचिव ।

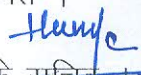
ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की
बैठक दिनांक 30.12.2014 में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन
के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - सचिव कोषांग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा
पदाधिकारी, बजट एवं लेखा शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-04/13- 9984 खाद्य, पटना/दिनांक- 31/12/2014
प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।